

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 06/06/2018

क्रमांक 1313/2322/2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक/181/12/2015/चयन दिनांक 07.03.2017 द्वारा चयनित (प्रतीक्षा सूची) निम्नलिखित उम्मीदवारों को चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पी. बी.-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड पे रूपये 5400 में सम्मुख दर्शाये पदस्थापना स्थल पर पदस्थ करता है :-

क्र.	रोल नं.	चिकित्सक का नाम	उपस्थिति दिनांक	पदस्थापना स्थान
1	601	डॉ. अपूर्वा पान्डे	08-05-2018	Khandwa- PHC Beed
2	625	डॉ. इन्द्रजीत रघुवंशी	07-05-2018	Vidisha- PHC Udaipur
3	31	डॉ. जितेन्द्र रघुवंशी	08-05-2018	Badwani- PHC Ojhar
4	492	डॉ. राहुल चौदहा	08-05-2018	Badwani- PHC Roshar
5	355	डॉ. गिरराज सिंह तोमर	09-05-2018	Khandwa- PHC Borgaon
6	746	डॉ. अलंकार साहू	-	Rajgarh- PHC Bhagora
7	836	डॉ. आनंद महाजन	07-05-2018	Khandwa- PHC Gudi
8	825	डॉ. देवांग शर्मा	07-05-2018	Rajgarh- PHC Karanwas
9	138	डॉ. धनेश चंद्र मिश्रा	09-05-2018	Vidish- PHS Kulhar
10	821	डॉ. अशोक कुमार खरे	07-05-2018	Guna- PHC Aawan
11	795	डॉ. शुभम मिश्रा	08-05-2018	Damoh- PHC Imliaghat
12	823	डॉ. राजीव खरे	08-05-2018	Damoh- PHC Jerath
13	814	डॉ. रोहित गर्ग	09-05-2018	Damoh- PHC Shahpur Sonakia
14	822	डॉ. सुमीत मोहवे	-	Chhatarpur- PHC Chhatibamhori
15	72	डॉ. राघवेन्द्र कुमार तिवारी	07-05-2018	Singrouli- PHC Barka
16	410	डॉ. हेमराज बोकड़े	17-05-2018	Chhatarpur- PHC Khadena
17	61	डॉ. ललित उपाध्याय	08-05-2018	Chhatarpur- PHC Maharajpur
18	508	डॉ. निकुंज शर्मा	-	Khandwa- Kalanka
19	834	डॉ. विवेक अरोरा	-	Rajgarh- PHC Talen
20	792	डॉ. विन्मय विंचौलीकर	07-05-2018	Badwani- PHC Dawana
21	710	डॉ. मोहम्मद ओजेर	07-05-2018	Singrouli- PHC Korsar
22	483	डॉ. सौरभ जैन	-	Rajgarh- PHC Karedi
23	354	डॉ. दीपक गुप्ता	-	Badwani- PHC Unchawad

24	691	डॉ. अब्दुल खलील खान	08-05-2018	Guna- PHC Markimahu
25	693	डॉ. आलोक त्यागी	07-05-2018	Chhatarpur- PHC Pehara
26	80	डॉ. विवेकानंद तिवारी	17-05-2018	Chhatarpur- PHC Ramnagar Kanti
27	368	डॉ. मनीष कुमार शर्मा	07-05-2018	Guna- PHC Mrigwas
28	1051	डॉ. राजेश कुमार सिंह	09-05-2018	Singrouli- PHC Lundhadol
29	348	डॉ. धर्मेन्द्र शर्मा	07-05-2018	Rajgarh- PHC Talen
30	237	डॉ. अंशुल तोमर	07-05-2018	Guna- PHC Vijaypur
31	263	डॉ. अजीत सिंह जादौन	07-05-2018	Rajgarh- PHC Bhagora
32	551	डॉ. अरुनेन्द्र मूर्ति गौतम	07-05-2018	Chhatarpur- PHC Ramtoria
33	27	डॉ. अमित श्रीवास्तव	07-05-2018	Khandwa- PHC Khar
34	851	डॉ. जयदीप सिंह सिंसौरिया	08-05-2018	Vidisha- PHC Bandrawata
35	275	डॉ. आशीष कनकोरिया	08-05-2018	Singrouli- PHC Karthua
36	808	डॉ. भूपेन्द्र सिंह चौहान	08-05-2018	Vidisha- PHC Kulhar
37	850	डॉ. अभिषेक अरोरा	-	Khandwa- PHC Beed
38	129	डॉ. प्रांजल चतुर्वेदी	18-05-2018	Chhatarpur- PHC Alipura
39	759	डॉ. फैजल अली	07-05-2018	Badwani- PHC Ojhar
40	71	डॉ. शरद चन्द्रा	07-05-2018	Guna- PHC Devri
41	64	डॉ. कृष्णपाल सिंह तोमर	08-05-2018	Vidisha- PHC Udaypur

2/- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं एवं जाति प्रमाण-पत्र अवैध पाया जाता है तो उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

3/- चयनित उम्मीदवारों को आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में नवीन पदस्थापना का कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

4/- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्ध अस्थायी) सेवा नियम-1960 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।

5/- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के साथ संलग्न प्रारूप में शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। यह शपथ-पत्र का प्रारूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास उपलब्ध है। चयनित उम्मीदवार अपने संभागीय चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। उपयुक्त पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने दिया जावेगा।

6/- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चयनित उम्मीदवारों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय उप-संचालक विज्ञप्त द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर इनके मूल निवासी, जाति एवं



अन्य मूल प्रमाण-पत्रों का अवलोकन करें एवं समस्त प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां कार्यालय में अनिवार्य रूप से रखें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रमाणित छाया प्रतियों का मूल अभिलेखों से मिलान कर प्रस्तुत छाया प्रतियों पर प्रतिहस्ताक्षर कर सेवा अभिलेख में संधारित करेंगे।

7/- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8/- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।

9/- यदि अभ्यर्थी के द्वारा प्रॉव्हीजनल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है तो नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 06 माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा, अन्यथा बिना किसी नोटिस/नोटिस वेतन के यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

10/- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भागीरथ सुनहरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 06/06/2018


पृ. क्रमांक 1313/2322/2018/सत्रह/मेडि-1

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. आयुक्त, जन सम्पर्क बाणगंगा भोपाल।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

10. संमस्त क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
11. उप संचालक (विज्ञप्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर प्रेषित लेख है कि उक्त आदेश विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु संबंधित को निर्देशित करें।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
13. संमस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
14. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
15. संबंधित चिकित्सक
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
16. गार्ड फईल।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग